भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 181
दिनांक 05 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

चीन से एपीआई का आयात

181. डा. अमी याज्ञिक :
श्री दिग्विजय सिंहः
श्री धीरज प्रसाद साहूः
श्री सैयद नासिर हुसैनः
श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत द्वारा आयादित एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रेडियेंट्स (एपीआई) का देश-वार ब्यौरा क्या है और विशेष रुप से 2018 से लेकर अब तक चीन से औषधि निर्माण के लिए कितनी मात्रा में एपीआई का आयात किया गया है;

(ख) 2018 से लेकर अब तक घरेलू स्तर पर कितनी मात्रा में एपीआई का उत्पादन किया गया हैं;

(ग) मूल्य और मात्रा के संदर्भ में चीन से एपीआई आयात और घरेलू उत्पादन का अनुपात क्या है; और

(घ) एपीआई की आपूर्ति हेतु चीन पर ऐसी निर्भरता से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)

(क): वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सक्रिय औषधीय सामग्री (एपीआई) [थोक औषधि, औषधि मध्यवर्ती] का भारत का कुल आयात 36229.15 करोड़ रुपये है और इसकी मात्रा 402111.18 मीट्रिक टन है। वर्ष 2018 से शीर्ष 25 देशों से आयात किए गए एपीआई का विवरण **अनुलग्नक** में संलग्न है।

(ख) एवं (ग): औषध विभाग द्वारा एपीआई के घरेलू उत्पादन का वर्ष-वार विवरण नहीं रखा जाता है।

(घ): (I) देश को एपीआई और दवा मध्यवर्ती में आत्मानिर्भर बनाने के लिए, औषध विभाग अपनी स्थायी घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और उससे अन्य देशों पर भारत की आयात निर्भरता को कम करने के लिए इस क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित कर निम्नलिखित तीन योजनाओं को लागू कर रहा है:-

(i) भारत में महत्वपूर्ण मुख्य प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/ दवा मध्यवर्ती (डीआई) और सक्रिय औषधीय सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के अंतर्गत, जिसका वित्तीय परिव्यय 6,940 करोड़ रूपए और वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2029-30 तक की अवधि के साथ 41 पहचाने गए उत्पादों के विनिर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत कुल 48 आवेदकों का चयन किया गया है। इनमें से 27 परियोजनाओं को 41,881 मीट्रिक टन की स्थापित क्षमता के साथ पहले ही शुरू कर दिया गया है।

(ii) 15, 000करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय और वित्त वर्ष 2020- 2021से वित्त वर्ष 2028-29तक की अवधि के साथ औषध हेतु उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, तीन श्रेणियों के अंतर्गत पहचाने गए उत्पादों के विनिर्माण के लिए 55चयनित आवेदकों को छह वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। उत्पाद श्रेणी दो में एपीआई/केएसएम/डीआई को शामिल किया गया है, केवल 41 पात्र उत्पादों को छोड़कर जो पहले से ही भारत में महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्रियों(केएसएम)/दवा मध्यवर्ती (डीआई) और सक्रिय औषधीय सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए "उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना" के तहत कवर किए गए हैं।

(iii) 3,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय और वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2024-25 तक की अवधि के साथ बल्क ड्रग पार्कों के संवर्धन हेतु योजना, बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना के लिए तीन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विभाग को 13 राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद, आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश राज्यों में थोक दवा पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव के अनुमोदन से अवगत कराया गया।

(II) जहां तक विनियामक उपायों का संबंध है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और सीडीएससीओ ने दवाओं के स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं: औषधि नियम, 1945 को दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के जी.एस.आर1337 (अ) द्वारा संशोधित किया गया था बशर्ते कि औषधि विनिर्माण लाइसेंस, बिक्री लाइसेंस और औषधि जांच लेबोरेटरी का अनुमोदन वैध रहेगा, यदि लाइसेंसधारी इसके जारी होने की तारीख, जब तक कि इसे लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा निलंबित या रद्द नहीं किया जाता, के प्रत्येक सफल पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले निर्धारित लाइसेंस प्रतिधारण शुल्क जमा करता है। औषधि नियम, 1945 को दिनांक 12.11. 2018 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 1193 (अ) द्वारा संशोधित किया गया था जिसमें आयात पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ-साथ विदेशी निरीक्षण के लिए शुल्क के लिए आवेदन शुल्क में वृद्धि की गई थी।

अनुलग्नक

शीर्ष 25 देशों से पिछले पांच वर्षों का एपीआई का आयात

क्र.सं.	कंसाइनमेंट का देश	2018-19 मात्रा (एमटी)	2018-19 मूल्य (रू. करोड़ में)	2019-20 मात्रा (एमटी)	2019-20 मूल्य (रू. करोड़ में)	2020-21 मात्रा (एमटी)	2020-21 मूल्य (रू. करोड़ में)	2021-22 मात्रा (एमटी)	2021-22 मूल्य (रू. करोड़ में)	2022-23 मात्रा (एमटी)	2022-23 मूल्य (रू. करोड़ में)
1	चीन पीआरपी	202316.645	16777.44	220875.185	16443.1	256608.708	19402.61	264582.478	23273.02	300120.2	25550.91
2	यू एस ए	10551.727	1025.54	8432.828	850.83	9831.057	1140.87	7637.176	3096.81	5884.059	1698.69
3	सिंगापुर	28781.901	762.8	28310.604	697.11	29538.23	813.97	30621.677	964.28	32482.38	911.74
4	इटली	5298.475	812.35	3868.835	727.21	3637.694	878.65	2834.356	830.04	1932.237	862.65
5	स्पेन	2390.95	468.36	2714.854	524.68	3653.445	645.14	3132.973	618.46	2968.207	717.86
6	जापान	9488.067	336.44	14169.612	370.16	13819.617	356.27	14474.754	555.42	14596.69	603.32
7	जर्मनी	5096.171	417.44	3874.831	445.79	6874.323	489.71	5667.991	549.71	3008.186	497.32
8	ऑस्ट्रिया	345.244	117.92	292.922	113.83	1292.503	244.23	1528.902	374.64	1387.928	473.37
9	फ्रांस	4112.373	352.14	5492.131	376.14	3199.891	366.66	3215.398	351.15	2494.532	443.6
10	हांग कांग	2127.501	514.3	2179.961	303.55	2187.141	399.6	1875.117	492.87	2028.9	397.94
11	ताइवान	716.713	175.97	172.13	189.93	161.283	241.87	41.168	227.77	143.089	364.14
12	नीदरलैंड	16065.48	297.27	16212.241	252.14	6640.08	253.71	3059.477	268.91	1370.061	359.46
13	स्लोवेनिया	200.38	178.26	37.681	251.51	422.997	442.56	371.455	388.99	528.401	354.16
14	बेल्जियम	716.616	235.59	1412.826	301.25	4078.547	344.64	4840.439	266.23	3075.501	313.83
15	स्विट्ज़रलैंड	364.405	201.29	178.407	179.8	143.775	262.22	200.355	272.85	1079.665	311.42
16	कोरिया आरपी	12084.062	253.89	17515.68	302.2	23123.688	378.51	23797.911	560.33	8184.774	298.72
17	मेक्सिको	180.936	151.77	204.807	233.16	169.092	197.19	163.737	177.59	163.012	266.07
18	मलेशिया	5466.814	127.1	5796.711	121.92	5315.539	149.26	6430.327	200.84	5855.919	259.45
19	डेनमार्क	14.22	293.33	17.174	305.61	17.689	311.46	7.382	345.11	4.928	237.89

20	इंडोनेशिया	24863.55	215.1	22402.809	194.57	15665.914	149.54	19084.812	235.29	11457.97	227.37
21	हंगरी	23.796	197.8	21.013	159.92	12.665	162.71	19.284	212.22	14.829	211.47
22	यू के	183.045	200.73	158.795	154.25	278.3	197.04	287.315	212.91	157.718	193.53
23	पुर्तगाल	32.811	116.22	5.876	51.16	8.83	56.27	6.223	33.49	14.699	112.37
24	चेक गणराज्य	2.99	53.95	6.343	81.52	6.885	98.55	9.538	120.09	8.134	87.58
25	मकाठ	4.757	13.73	1.674	6.25	15.522	44.87	15.767	45.4	21.304	60.81
	शीर्ष 25 देशों से कुल आयात	**331429.63**	**24296.73**	**354355.93**	**23637.59**	**386703.42**	**28028.11**	**393906.01**	**34674.42**	**398983.31**	**35815.67**
	समग्र कुल आयात	**345944.39**	**24850.07**	**364432.49**	**24171.78**	**390475.70**	**28528.97**	**400642.47**	**35248.63**	**402111.18**	**36229.15**

स्रोत: डीजीसीआईएस, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय.

*****